कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या-456/12ए-72(2017-2020)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 30 जुलाई, 2018

विषय -जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.06है0 बंजर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

उप जिलाधिकारी, डोईवाला
जनपद-देहरादून।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-269/एस0टी0/183(9)-2018 दिनांक 18 जुलाई, 2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि-प्रस्ताव तथा ग्राम सभा-सनगांव के अनापत्ति-पत्र दिनांकित 19.05.2018 के क्रम में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/ 2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 2.03 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम-सनगांव, परगना-परवादून, तहसील-डोईवाला, जनपद-देहरादून के खाता खतौनी संख्या 99, के खसरा नं0 408ख मध्ये रकबा 4.06है0, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ख-जंगल झाड़ी भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है :-

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये यह हस्तान्तरित/आवंटित की जा रही है।
2. वन विभाग/सम्बन्धित विभाग से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।
3. उक्त मार्ग के लिये वन विभाग/सम्बन्धित विभाग से सैद्धान्तिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश निर्गत होने के पश्चात ही उक्त भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षोरोपण का कार्य किया जायेगा।
4. उक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/वन विभाग से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ना होने की दशा में उपरोक्त वर्णित भूमि पुनः पूर्ववत मूल विभाग में स्वतः निहित हो जायेगी।
5. उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या-01 से 04 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी।

अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(एस0ए0मुरूगेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :-
1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

30/7/18
जिलाधिकारी
देहरादून

COLLECTOR जिलाधीश देहरादून
कार्यालय जिलाधीश देहरादून